अंक 1
संख्या 9

23 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. कार्यक्रम 1

2. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

इसके बाद विधान-परिषद् का पूर्ण अधिवेशन 1 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, 23 दिसम्बर, 1946 को माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुआ।

रूल्स ऑफ प्रोसीजर की स्वीकृति

श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमान्! मैं प्रस्ताव पेश * करता हूं....।

अध्यक्ष: कमेटी की स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब सभा का पूर्ण अधिवेशन हो रहा है। श्री मुंशी ने प्रस्ताव पेश किया है कि जिस रूप में कमेटी ने ये नियम पास किये हैं, उन्हें उसी रूप में पास किया जाये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं—

''हमने जो नियम पास किये हैं, उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी अब तक इस परिषद् की जो भी कार्रवाई हुई है, उसे वैध और नियमित माना जायेगा।''

हमने चुनाव के तरीके इत्यादि, अफसरों की नियुक्ति और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए नियम पास किये हैं और विस्तृत व्यवस्था की है। अब तक हमने जो कुछ भी किया है, चाहे ये नियम कुछ भी हों, हमने जो कुछ किया है, उसे वैध समझा जायेगा।

***अध्यक्षः** यह प्रश्न तो नियम पास किये जाने के बाद उठेगा।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा की कमेटी ने जिस रूप में नियम स्वीकार किये हैं, उन्हें अब परिषद् द्वारा अपने पूर्ण अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाये।

***डॉ. पी. सुब्बारायन** (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं नियमों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सम्मुख पेश करता हूं।

नियम, जिस रूप में सभा की कमेटी द्वारा स्वीकार किये गए थे, स्वीकार कर लिये गए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाये कि जो नियम आज पास किये गए हैं उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी इस परिषद् की अब तक की सब कार्रवाई वैध, उचित और लागू समझी जायेगी।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सभा ने जो भी चीजें पास की हैं, वे सब बहुमत द्वारा की गई हैं। नियम बहुमत द्वारा पास किये गए हैं, और केवल स्वीकृत होने पर ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए हमने इससे पूर्व जो कुछ भी किया है, उसे वैध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्षः** मेरा विचार है कि यह अनावश्यक है।

हमने नियम तो पास कर लिये हैं, परन्तु अभी इन नियमों के अन्तर्गत कुछ कमेटियों का निर्वाचन करना शेष रह गया है। कल मैंने घोषणा की थी कि आप लोग आज 1 बजे तक इन कमेटियों के लिए नाम पेश कर सकते हैं। हम 1 बजे से पहले ये नियम नहीं पास कर सके। इस समय 1 बजकर 35 मिनट

[अध्यक्ष]

हो चुके हैं। मैं सदस्यों को दो बजे तक नामजदगियां पेश करने का समय देता हूं। ये सेक्रेटरी के पास दी जा सकती हैं।

चुनाव करने के लिए और अगर कोई काम रह गया हो तो उसे पूरा करने के लिए हमारी बैठक चार बजे होगी।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहायः** शायद कुछ सदस्य यह जानना चाहें कि परिषद् की आगामी बैठक कब होगी।

***अध्यक्षः** उसकी घोषणा बाद में की जायेगी।

इसके बाद परिषद् दोपहर के भोजन के लिए 4 बजे तक स्थगित की गयी।

।। इस वाद-विवाद-पुस्तक में जहां भी 'अध्यक्ष' शब्द आया है, कृपया पाठक उसे 'सभापति' ही पढ़ें।